



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 चैत्र 1944 (श0)
(सं0 पटना 168) पटना, शुक्रवार, 1 अप्रील 2022

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश
10 मार्च 2022

सं० 27/आरोप-01-27/2021-3634/सा0प्र0—श्री रंजन कुमार चौहान, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-542/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा, मधेपुरा, के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4963 दिनांक-05.04.2016 से विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

श्री चौहान, दिनांक-30.11.2021 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

विभागीय परिपत्र संख्या 1893 दिनांक 14.06.2011 के आलोक में श्री चौहान के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि के प्रभाव से बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) में सम्पूरित किया जाता है।

vkn'k& vkn'k fn;k tkrk gi fd bl lldYi dh ifr fcgkj jkt i= d vxy; v l k/kkj.k vd
e: idkf'kr fd;k tk; rFkk bl dh ifr lHkh lcf/kr dk Hkt nh tk;A

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
महेन्द्र कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 168-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>